# कौशल बोध

## व्यावसायिक शिक्षा — गतिविधि पुस्तिका
## कक्षा 6 के लिए

© NCERT not to be republished

0686

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

**0686 – कौशल बोध**
व्यावसायिक शिक्षा — गतिविधि पुस्तिका— कक्षा 6 के लिए

**ISBN 978-93-5292-492-9**

**प्रथम संस्करण**
*सितंबर 2024 भाद्रपद 1946*

**पुनर्मुद्रण**
*जुलाई 2025 श्रावण 1947*
*मार्च 2026 फाल्गुन 1947*

**PD 100T M**

***© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2024***

**₹ 65.00**

*एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।*

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा मित्तल एंटरप्राइजेज, 3/1/23, साइट-IV, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद–201010

**सर्वाधिकार सुरक्षित**

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फ़ोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

**एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय**

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
**नई दिल्ली 110 016** फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
**बेंगलुरु 560 085** फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
**अहमदाबाद 380 014** फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पानीहटी
**कोलकाता 700 114** फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स
मालीगाँव
**गुवाहाटी 781 021** फ़ोन : 0361-2676869

**प्रकाशन सहयोग**

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग | : | *एम.वी. श्रीनिवासन* |
| मुख्य संपादक | : | *बिज्ञान सुतार* |
| मुख्य व्यापार प्रबंधक | : | *अमिताभ कुमार* |
| मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी) | : | *दीपक जैसवाल* |
| सहायक संपादक | : | *मीनाक्षी* |
| सहायक उत्पादन अधिकारी | : | *सायुराज ए.आर.* |

**आवरण**
*लोहिता कुरमाला, सिलजा बांसरियार, सुस्नाता पॉल*

**चित्रांकन**
*मोनामी रॉय, विद्या कमलेश, सुस्नाता पॉल, सिलजा बांसरियार, पलक शर्मा, नानित बी.एस.*

© NCERT not to be republished

# आमुख

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति* (*एन.ई.पी.*) *2020* एक परिवर्तनकारी पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना की अनुशंसा करती है जिसके मूल में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा निहित है। यह नीति विद्यार्थियों को इक्कीसवीं सदी की संभावनाओं और चुनौतियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार करती है। नई शिक्षा नीति में निहित चुनौतियों और सुझावों को आधार बनाते हुए *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* (*एन.सी.एफ.एस.ई.*) *2023* में सभी स्तरों के पाठ्यचर्या क्षेत्र तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 का उद्देश्य है कि बुनियादी और आरंभिक स्तर पर बच्चों के पंचकोशीय विकास को सुनिश्चित करते हुए विद्यालयी शिक्षा के मध्य स्तर पर उनके विकासात्मक स्वरूप को अग्रसर किया जाए। इस प्रकार, मध्य स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तीन वर्षों को समाहित करते हुए आरंभिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

मध्य स्तर पर इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्देश्य है, विद्यार्थियों को उन आवश्यक कौशलों में दक्ष करना जो उनकी विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करे और उन्हें आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करे। मध्य स्तर हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के आधार पर विकसित बहुआयामी पाठ्यक्रम में ऐसे नौ विषयों को सम्मिलित किया गया है जो बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। इनमें तीन भाषाओं (कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएँ) सहित विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण और व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित हैं।

ऐसी परिवर्तनकारी शिक्षण संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए विभिन्न विषयों की उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें भी होनी चाहिए। पाठ्यसामग्री और पढ़ने-पढ़ाने के उपागमों के बीच इन पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसी निर्णायक भूमिका जो बच्चों की जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाएगी। कक्षा नियोजन और विषयों की पढ़ाई के बीच उचित संतुलन बनाने के लिए शिक्षकों की तैयारी भी आवश्यक है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् निरंतर गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए एक प्रतिबद्ध संस्था है। पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु संबंधित विषय विशेषज्ञों, शिक्षाशास्त्रियों और अध्यापकों को समितियों में सम्मिलित किया जाता है।

© NCERT not to be republished

कक्षा 6 के लिए व्यावसायिक शिक्षा — गतिविधि पुस्तिका *कौशल बोध* इन प्रयासों में से एक है। इसकी विषयवस्तु में तीन कार्य के प्रकारों से संबंधित परियोजनाएँ सम्मिलित हैं— जीव रूपों के साथ कार्य करना, मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करना एवं मानव सेवाओं में कार्य करना। यह परियोजनाएँ विद्यार्थियों को पारिस्थितिक संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता, डिजिटल कौशल एवं जीवन कौशल के साथ-साथ ज्ञान, कौशल विकास, दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करने में सहायक होंगी। मेरे विचार से यह गतिविधि पुस्तिका सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अपने पाठ्यचर्या संबंधी लक्ष्यों में सफल रही है— परियोजना का उचित चयन विद्यार्थियों में स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। इस गतिविधि पुस्तिका में मुख्य दक्षताओं, जैसे— संचार, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, हरित कौशल, व्यावसायिक कौशल, उपकरणों का उपयोग, उत्पाद निर्माण से संबंधित विभिन्न परियोजनाएँ सम्मिलित की गई हैं। इन विभिन्न गतिविधियों को सोच-समझकर तैयार किया गया है, ताकि विषयवस्तु और शिक्षण को सार्थक संदर्भों में सहजता से एकीकृत किया जा सके। हालाँकि, इस स्तर पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त विभिन्न अन्य शिक्षण संसाधनों को जानने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। विद्यालयी पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और कार्यशालाएँ ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता-पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन भी विद्यार्थियों के लिए अमूल्य सिद्ध होगा। इसके साथ, मैं उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जो इस गतिविधि पुस्तिका के विकास में प्रतिभागी रहे। आशा करता हूँ कि यह सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी। साथ ही मैं आने वाले वर्षों में आवश्यक सुधार के लिए इसके सभी उपयोगकर्ताओं से सुझाव और प्रतिक्रिया को भी आमंत्रित करता हूँ।

दिनेश प्रसाद सकलानी
*निदेशक*
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

सितंबर 2024
नई दिल्ली

© NCERT not to be republished



Reprint 2026-27

# गतिविधि पुस्तिका के बारे में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.एस.ई.) 2023 के दृष्टिकोण के अनुरूप कक्षा 6 के लिए व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका *कौशल बोध* विकसित की गई है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में कार्य को तीन व्यापक प्रकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है— जीव रूपों के साथ कार्य करना, मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करना और मानव सेवाओं में कार्य करना। इस स्तर का मुख्य उद्देश्य है कि कार्य के तीन रूपों में वर्गीकृत गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावसायिक अवसर प्रदान किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों से कक्षा 6 से 8 तक नौ परियोजना अर्थात प्रत्येक कक्षा में तीन प्रकार के कार्य और प्रत्येक प्रकार के कार्य से एक परियोजना के चयन करने की अपेक्षा की जाती है।

मध्य चरण के लिए विकसित की गई पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों को प्रारंभिक चरण से परे ले जाएगी। पाठ्यपुस्तक को विकसित करते समय पाठ्यचर्या संबंधी लक्ष्य, दक्षताएँ और अधिगम प्रतिफल मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रहे हैं। गतिविधि पुस्तिका में दिए गए निम्नलिखित पाठ्यचर्या लक्ष्यों में अनेक प्रकार की दक्षताओं को सम्मिलित किया गया है—

**पाठ्यचर्या लक्ष्य 1—** यह विशेष आधारभूत कौशल और कार्य से संबंधित ज्ञान विकसित करता है जिसमें उनसे संबंधित सामग्री या प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं।

**पाठ्यचर्या लक्ष्य 2—** यह कार्य परिवेश में व्यावसायिक कौशल व्यवसायों का स्थान एवं उनकी उपयोगिताओं को संदर्भित करता है।

**पाठ्यचर्या लक्ष्य 3—** यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते समय आवश्यक मूल्यों का विकास करता है।

**पाठ्यचर्या लक्ष्य 4—** यह जीवन निर्वाह और उसमें योगदान देने के लिए आधारभूत कौशल और संबद्ध ज्ञान विकसित करता है।

उपर्युक्त पाठ्यचर्या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधि पुस्तिका में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

गतिविधि पुस्तिका में छह उदाहरणात्मक परियोजनाएँ सम्मिलित की गई हैं, जिसमें प्रत्येक कार्य के लिए दो परियोजनाएँ चिह्नित की गई हैं। इनमें से एक परियोजना विद्यार्थियों द्वारा चुनी

© NCERT not to be republished

Reprint 2026-27

जा सकती है या अधिमानतः विद्यालय स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाएँ तैयार कर सकता है। उदाहरणात्मक परियोजनाओं का विवरण अग्रलिखित है—

**परियोजना 1** विद्यालय में रसोई उद्यान विकसित करने पर आधारित है। इस परियोजना के माध्यम से विद्यार्थी विद्यालय के मैदान या गमलों में रसोई उद्यान निर्मित करना और उसका रखरखाव करना सीखेंगे। वे जैविक खेती के महत्व पर ध्यान देने के साथ ही, क्षेत्र भ्रमण और व्यावहारिक एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से विभिन्न कृषि पद्धतियों के संबंध में भी समझ विकसित करेंगे।

**परियोजना 2** जैव विविधता विवरणिका तैयार करने पर आधारित है। इस परियोजना के माध्यम से विद्यार्थी विद्यालय परिसर या आस-पास के क्षेत्रों में जीव की विविधता का अध्ययन करेंगे और विभिन्न सजीव वस्तुओं का प्रलेखन करेंगे। इस परियोजना से वे पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका को समझते हुए, पौधों, जानवरों और कीटों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान करना सीखेंगे। यह परियोजना कार्य उनके अवलोकन कौशल, जैव विविधता के ज्ञान और संरक्षण के महत्व को बढ़ाएगा। इसके साथ ही इससे उनकी पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के महत्व की समझ भी विकसित होगी।

**परियोजना 3** निर्माता कौशल पर आधारित है। इस परियोजना में विद्यार्थी खिलौने बनाने और साइकिल के रखरखाव जैसी विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों को कार्यान्वित करेंगे। इस परियोजना के माध्यम से वे कार्यात्मक या कलात्मक वस्तुएँ बनाना, रचनात्मकता, समस्या-समाधान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग करना सीखेंगे। यह परियोजना नवाचार, आलोचनात्मक सोच और सैद्धांतिक ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही विद्यार्थियों को रचना (डिजाइन), अभियंत्रिकी और निर्माण में संभावित करियर के लिए तैयार करेगी।

**परियोजना 4** एनिमेशन और गेम्स (खेल) पर आधारित है। यह परियोजना विद्यार्थियों को डिजिटल रचनात्मकता के मूल सिद्धांतों से परिचित कराएगी। इससे विद्यार्थी एनिमेशन और खेल की रचना और उन्हें विकसित करना सीखेंगे। इसके साथ ही वे कोडिंग, ग्राफिक (डिजाइन और कहानी वर्णन) में कौशल प्राप्त करेंगे। यह परियोजना उनकी तकनीकी दक्षता, रचनात्मकता और तार्किक सोच को प्रेरित करेगी।

**परियोजना 5** विद्यालय संग्रहालय पर आधारित है। यह परियोजना विद्यार्थियों को उनके परिवार और समुदाय के इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और प्रबंधन कौशल विकसित करने में सहायता करेगी। इस परियोजना के माध्यम से वे अनुसंधान, प्रलेखन और प्रस्तुति कौशल के बारे में सीखेंगे। इसके साथ ही यह परियोजना विरासत को संजोकर रखने,



Reprint 2026-27

संगठनात्मक कौशल और समूह में कार्य करने की भावना को बढ़ावा देगी। यह विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने और अपने परिवार और समुदाय के साथ जुड़ने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगी।

**परियोजना 6** आग के बिना खाना बनाने (फायरलेस कुकिंग) की प्रक्रिया पर आधारित है। इस परियोजना में विद्यार्थी ऊष्मा स्रोत का उपयोग किए बिना पौष्टिक भोजन तैयार करने की कला सीखेंगे। इस परियोजना के माध्यम से वे पोषण, खाद्य सुरक्षा और पाक शाला संबंधी रचनात्मकता के बारे में भी सीखेंगे। यह परियोजना उन्हें व्यावहारिक जीवन कौशल, स्वस्थ भोजन का महत्व और आपात स्थिति या सीमित समय में भोजन तैयार करने की क्षमता सिखाएगी। इससे समूह में कार्य करने की भावना और खाना पकाने के आनंद को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्य, विरासत, लिंग संवेदनशीलता एवं समावेशन प्रश्न जैसे अंतर विषयों को सभी परियोजनाओं में समाहित किया गया है। इन विभिन्न गतिविधियों के अंतर्निहित चिंतनशील और विचारोत्तेजक प्रश्न रोचक होते हैं और ये मूल्यांकन के साथ-साथ आनंदपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। गतिविधि पुस्तिका में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए संदर्भ दर्शाते हुए चित्र तैयार किए गए हैं। गतिविधियों की समझ का आकलन करने के लिए पाठगत प्रश्न भी सम्मिलित किए गए हैं। परियोजना के अंत में 'सोचिए और जवाब दीजिए' में दिए गए प्रश्न आलोचनात्मक सोच, तर्क, प्रतिक्रिया, विश्लेषण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए हैं।

विद्यार्थी प्रत्येक परियोजना के लिए प्रदान किए गए क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड में दिए गए अतिरिक्त संसाधनों तक पहुँच सकते हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि विद्यार्थियों को इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में आनंद आएगा और इससे इच्छित और अपेक्षित दक्षताओं को विकसित करने में उन्हें सहायता प्राप्त होगी।

विनय स्वरूप मेहरोत्रा
*आचार्य* और *सदस्य समन्वयक*
पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह– व्यावसायिक शिक्षा
रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

© NCERT not to be republished



Reprint 2026-27

# भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)
(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन)
द्वारा प्रदत्त

# मूल अधिकार

**समता का अधिकार**

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
- लोक नियोजन के विषय में;
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

**स्वातंत्र्य-अधिकार**

- अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

**शोषण के विरुद्ध अधिकार**

- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध;
- परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

**धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार**

- अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता;
- राज्य निधि से पूर्णत: पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

**संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार**

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

**सांविधानिक उपचारों का अधिकार**

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।

Reprint 2026-27

# राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (एन.एस.टी.सी.)

एम. सी. पंत, *कुलाधिपति*, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान और प्रशासन ***(अध्यक्ष)***

मञ्जुल भार्गव, *प्रोफेसर*, प्रिंसटन विश्वविद्यालय ***(सह-अध्यक्ष)***

सुधा मूर्ति, *प्रतिष्ठित लेखिका* एवं *शिक्षाविद्*

बिबेक देबरॉय, *अध्यक्ष*, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)

शेखर मांडे, *पूर्व महानिदेशक*, सी.एस.आई.आर. एवं *प्रतिष्ठित प्रोफेसर,* सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे

सुजाता रामदोरई, *प्रोफेसर*, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा

शंकर महादेवन, संगीत विशेषज्ञ, मुंबई

यू. विमल कुमार, *निदेशक*, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी, बेंगलुरु

मिशेल डैनिनो, *विजिटिंग प्रोफेसर*, आई.आई.टी., गांधीनगर

सुरीना राजन, *आई.ए.एस.* (सेवानिवृत्त), हरियाणा एवं *पूर्व महानिदेशक*, एच.पी.ए.

चमू कृष्ण शास्त्री, *अध्यक्ष*, भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय

संजीव सान्याल, *सदस्य*, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)

एम.डी. श्रीनिवास, *अध्यक्ष*, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, चेन्नई

गजानन लोंढे, हेड, प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी.

रेबिन छेत्री, *निदेशक*, एस.सी.ई.आर.टी., सिक्किम

प्रत्यूष कुमार मंडल, *प्रोफेसर,* सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

दिनेश कुमार, *प्रोफेसर* एवं *अध्यक्ष,* योजना एवं अनुवीक्षण प्रभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

कीर्ति कपूर, *प्रोफेसर,* भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

रंजना अरोड़ा, *प्रोफेसर* एवं *अध्यक्ष*, पाठ्यचर्या अध्ययन एवं विकास विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली ***(सदस्य-सचिव)***

© NCERT not to be republished

# भारत का संविधान

*भाग 4क*

# नागरिकों के मूल कर्तव्य

**अनुच्छेद 51 क**

**मूल कर्तव्य** – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

Reprint 2026-27

# निर्माण समिति

**मार्गदर्शन**

महेश चंद्र पंत, *कुलाधिपति*, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान और प्रशासन; *अध्यक्ष*, एन.एस.टी.सी.

मञ्जुल भार्गव, *आचार्य*, प्रिंसटन विश्वविद्यालय; *सह-अध्यक्ष*, एन.एस.टी.सी.

**पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह— व्यावसायिक शिक्षा**

**अध्यक्ष**

सुरीना राजन, *आई.ए.एस.* (सेवानिवृत्त), हरियाणा, *पूर्व महानिदेशक*, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा); सदस्य, एन.एस.टी.सी.

**योगदानकर्ता**

अभिषेक गुप्ता, *मुख्य परिचालन अधिकारी*, युवाह-इंडिया, यूनिसेफ, दिल्ली

अनिमेष चंद्रा, *व्यावसायिक प्रशिक्षक*, +2 हाई स्कूल, दांतू, बोकारो, झारखंड

एच. लालहरुआइतलुआंगा, *अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक*, समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल

जयश्री माथुर, *सहायक आचार्य*, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

जोगिंदर सिंह, *व्यावसायिक शिक्षक*, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चिरी, रोहतक, हरियाणा

नवनीत गणेश, *सलाहकार*, कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी.

नीना जाजू पिंगले, *उपाध्यक्ष* (अधिगम एवं विकास), लेबरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक

नीता प्रधान दास, *पूर्व महाप्रबंधक*, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्वतंत्र कौशल विकास *विशेषज्ञ*

निम्रत कौर, *आचार्य*, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक

पूनम भूषण, *सह-आचार्य,* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

मनोज कुमार शुक्ला, *व्याख्याता*, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखंड, देहरादून

© NCERT not to be republished

ममता श्रीवास्तव, *संयुक्त निदेशक* (व्यावसायिक शिक्षा), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश

योगेश रमेश कुलकर्णी, *कार्यकारी निदेशक*, विज्ञान आश्रम, पबल, महाराष्ट्र

राज गिल्डा, *संस्थापक*, लेंड ए हैंड इंडिया, पुणे, महाराष्ट्र

विनीता सिरोही, *आचार्य*, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

विपिन कुमार. जैन, *सह-आचार्य*, व्यापार और वाणिज्य विभाग, पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, मध्यप्रदेश

सुभाष चंदर महाजन, *पूर्व उप राज्य परियोजना निदेशक*, समग्र शिक्षा पंजाब, चंडीगढ़

**समीक्षक**

अनुराग बेहर, *सदस्य*, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निरीक्षण समिति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

गजानन लोंढे, *प्रमुख*, कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी.

**अनुवादक**

रश्मि मिश्रा, *सहायक आचार्य* (संविदा), पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश

**सदस्य संयोजक**

विनय स्वरूप मेहरोत्रा, *आचार्य* और *प्रमुख*, पाठ्यचर्या विकास और मूल्यांकन केंद्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश

© NCERT not to be republished



Reprint 2026-27

# आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक समिति (एन.एस.टी.सी.) के अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष एवं सदस्यों और राष्ट्रीय निरीक्षण समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करती है।

इस गतिविधि पुस्तिका को विज्ञान आश्रम, पाबल, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बेंगलुरु के साथ-साथ लेंड ए हैंड इंडिया, पुणे के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सामग्री और सुझावों से निर्मित किया गया है।

परिषद्, *आचार्य* मिशेल डैनिनो द्वारा निजी संग्रह से छायाचित्र साझा करने की उदारता के लिए कृतज्ञता प्रकट करती है। साथ ही परिषद् नागालैंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय को भी छायाचित्र साझा करने के लिए धन्यवाद देती है।

*मुख्य सलाहकार* बिनय पटनायक और सुपर्णा दिवाकर के साथ-साथ कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी. के *सलाहकार* तरुण चौबीसा और भावना पालीवाल से मिले सहयोग के लिए परिषद् उनका आभार प्रकट करती है। परिषद्, दीपक पालीवाल, *संयुक्त निदेशक*, पं. सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.), भोपाल के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभारी है। परिषद्, विजेन्द्र बोरबन एवं आकांक्षा दुबे, *सहायक संपादक* (संविदा) पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. के विशेष योगदान की सराहना करती है।

परिषद्, भारत के निम्नलिखित विद्यालयों को उन चित्रों (छायाचित्रों) के योगदान के लिए आभार व्यक्त करती है, जिनके छायाचित्र गतिविधि पुस्तिका में सम्मिलित किए गए हैं। इनमें राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र, बेंगलुरु; एस.ओ.यू. लक्ष्मीबाई बाबूराव बांगर विद्यालय, खडकी; पुणे, पं. जवाहरलाल नेहरू माध्यमिक विद्यालय, निर्गुडसर, पुणे; कंपोजिट स्कूल नईबस्ती, झाँसी; बेसिक स्कूल नौबस्ता, लखनऊ; कंपोजिट स्कूल अलीपुर गिजौरी, बुलंदशहर और उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर, बुलंदशहर सम्मिलित हैं।

परिषद् चित्रों के लिए सिलजा बांसरियार, प्रतीति प्रसाद, पी.जे.एस. खंडपुर, गौरव शर्मा, रीमा कौर, रोजलीन रिचा और पुरूषोत्तम सिंह ठाकुर के योगदान की सराहना करती है।

परिषद्, इस पुस्तिका को आकार देने हेतु प्रकाशन प्रभाग में कार्यरत पारुल त्यागी, *सहायक संपादक* (संविदा), श्रीया, अलका दिवाकर, प्रियंका शर्मा एवं गरिमा, *प्रूफ रीडर* (संविदा) का आभार व्यक्त करती है। परिषद् त्रुटिरहित लेआउट और डिजाइन के लिए पवन कुमार बरियार, *डीटीपी प्रकोष्ठ प्रभारी*, उपासना, राजश्री सैनी, बिट्टू कुमार महतो एवं मनोज कुमार, *डीटीपी ऑपरेटर* (संविदा) के प्रयासों की सराहना करती है।

इस पुस्तिका में निहित परियोजनाओं के लिए प्रतिलिप्याधिकार लागू किया गया है। पुस्तिका प्रकाशक से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए खेद प्रकट करते हैं एवं ऐसे किसी भी उपेक्षित प्रतिलिप्याधिकार धारकों से सूचना प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं उनसे संपर्क प्राप्त करने में हमें प्रसन्नता होगी।

© NCERT not to be republished

Reprint 2026-27

# आयाम और सिद्धांत

यह गतिविधि पुस्तिका *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* (एन.सी.एफ.एस.ई.) *2023* में उल्लिखित व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए तैयार की गई है।

*एन.सी.एफ.एस.ई. 2023* में कार्य को तीन व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है— जीव रूपों के साथ कार्य, मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य और मानव सेवाओं में कार्य करना।

- जीव रूपों के साथ कार्य के अंतर्गत पौधों और जीवों के साथ कार्य करना सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, एक वनस्पति उद्यान विकसित करना और जानवरों की देखभाल करना।
- मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करने में सामग्रियों (जैसे— कागज, लकड़ी, मिट्टी और कपड़े) के साथ कार्य करना और बुनियादी उपकरणों (जैसे— कैंची, फावड़ा , चाकू, हथौड़ा, पेचकश, आदि) एवं मशीनों (जैसे— बोतल खोलने वाला उपकरण, रैंप स्लाइड, लकड़ी का पेंच, क्रेन, बुलडोजर, आदि)) का उपयोग करना सम्मिलित है।
- मानव सेवाओं में कार्य के अंतर्गत लोगों के साथ वार्तालाप करना सम्मिलित है ताकि उनकी आवश्यकताओं को समझा जा सके और उनकी सहायता की जा सके। इसमें विशेष सेवा प्रदान करने के लिए संचार और प्रक्रियाओं एवं संसाधनों को समझना समाहित है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवाएँ, शिक्षा, खाद्य सेवाएँ, सामुदायिक सेवा, आदि।

'*कार्य के प्रकार*' मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और विषयवस्तु विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शक अवधारणा के रूप में कार्य करते हैं। इस स्तर पर मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों का अनुभव प्रदान करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 8 तक नौ परियोजनाओं को पूरा करना होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में कार्य के प्रत्येक रूप से एक परियोजना पर कार्य करना होगा।

परियोजनाओं के चयन का निर्णय पूरी तरह से विद्यालयों पर छोड़ दिया गया है। एन.सी.एफ.एस.ई. 2023 और यह गतिविधि पुस्तिका, विद्यालयों को स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाओं का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कार्य के प्रकारों से प्रत्येक परियोजना के लिए दो-दो उदाहरण गतिविधि पुस्तिका में विस्तृत रूप में दिए हैं जिन्हें विद्यार्थी कक्षा 6 में अपना सकते हैं। इसके माध्यम से इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि परियोजनाओं को कैसे तैयार किया जा सकता है एवं किन प्रमुख पहलुओं को महत्त्व देना चाहिए।

© NCERT not to be republished

गतिविधि पुस्तिका में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं को तैयार करने के लिए एक प्रारूप भी प्रदान किया गया है (परिशिष्ट 1)।

निम्नलिखित सिद्धांतों को गतिविधि पुस्तिका के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है—

1. **व्यावसायिक शिक्षा का सरल परिचय**— पहली बार व्यावसायिक शिक्षा को मध्य चरण में प्रस्तुत किया जा रहा है। अत: गतिविधि पुस्तिका का उद्देश्य शिक्षक या विद्यार्थी को निर्देश दिए बिना, इस परिवर्तन को यथासंभव सरल और सहज बनाना है।

2. **विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता वाली परियोजनाओं का चित्रण**— गतिविधि पुस्तिका में उन परियोजनाओं का वर्णन हो, जिन्हें विद्यालय विभिन्न प्रकार के संसाधनों, जैसे— विशेषज्ञों की उपलब्धता, उपकरण और सामग्री के संदर्भ में पूरा कर सकते हैं।

3. **अधिगम परिणामों के साथ संरेखण**— गतिविधि पुस्तिका को कक्षा 6 के लिए अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति और अंततः मध्य चरण के लिए दक्षताओं को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया हो।

4. **सभी परियोजनाओं में एकरूपता**— सभी परियोजनाओं में एक ही प्रारूप का पालन किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक परियोजना में परिचित अनुक्रम और प्रतिफल हों।

5. **परियोजनाओं में सामंजस्य**— सभी गतिविधियों को इस प्रकार से संलग्न किया जाना चाहिए कि वे एक समन्वित अधिगम प्रक्रिया में योगदान दें। दूसरे शब्दों में गतिविधियों को इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि वे सीखने की शृंखला को भी संबोधित करें।

6. **विद्यार्थियों का स्वामित्व**— गतिविधि पुस्तिका को विद्यार्थियों से 'संवाद' करना चाहिए। इसमें उन्हें अपने द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के आधार पर स्वयं के अधिगम और चिंतन को संचित करने का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए।

7. **शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन**— गतिविधि पुस्तिका में उन शिक्षकों के लिए रूपरेखा होनी चाहिए जो पहली बार व्यावसायिक शिक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इसे विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें यह भी समझने में सहायता करनी होगी कि *एन.सी.एफ.एस.ई. 2023* में उनसे क्या अपेक्षा की गई है।

8. **मूल्य एकीकरण**— गतिविधि पुस्तिका को विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यों को 'करने', छोटी-छोटी सफलताओं को लिखने और प्रतिपुष्टि देने, सहपाठियों के साथ काम करने, प्रयास करने, पुनः प्रयास करने, संक्षेप में चिंतन करने और कार्य से संबंधित मूल्यों को 'अनुभव' करने के अवसर प्रदान करने चाहिए।

© NCERT not to be republished



Reprint 2026-27

9. **परियोजनाओं के संचालन का दृष्टिकोण—** परियोजना में कार्य को 'करने' पर बल देना होगा, जिसमें तैयारी, जानकारी को संचित करना और आत्म-मूल्यांकन सम्मिलित हों। गतिविधियों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अधिगम स्तर को प्राप्त करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जहाँ तक संभव हो, प्रारंभिक गतिविधियाँ इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि विद्यार्थी वर्तमान में क्या कर रहे हैं या वे अपने आस-पास क्या आसानी से देख सकते हैं।

गतिविधि पुस्तिका शिक्षकों को शिक्षण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही विभिन्न घटकों में निहित प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन भी करती है। शिक्षकों को रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के लिए स्वयं के साधन और तकनीकें विकसित करनी होगी।

इस गतिविधि पुस्तिका में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए संक्षिप्त जानकारी है। इसमें सम्मिलित परिशिष्ट शिक्षकों के उपयोग में आएंगें जब वे कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों को कार्यान्वित करेंगे।

© NCERT not to be republished



Reprint 2026-27

# शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के लिए निर्देश

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति* (एन.ई.पी.) 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालयी शिक्षा के लिए निर्मित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ. एस.ई.) 2023, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को एक विशिष्ट विषय के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में 'करके सीखना', 'श्रम की गरिमा' और विभिन्न कार्यों के माध्यम से व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना सम्मिलित है। इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने से उत्तरदायी और आत्मविश्वासी व्यक्ति तैयार होंगे जो सभी व्यवसायों को महत्व देंगे। विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा समग्र शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ माध्यम प्रदान करती है, जो विद्यार्थियों को अन्य पाठ्यक्रम में अवधारणात्मक अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों में क्रियान्वित करने के अवसर प्रदान करती है।

कक्षा 6 में विद्यार्थियों को कार्य के प्रत्येक रूप में एक परियोजना का चयन करना होगा। इन परियोजनाओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, बशर्ते कि सभी परियोजनाएँ शैक्षणिक वर्ष के अंतर्गत पूरी की जाएँ। ये परियोजनाएँ एक ही समय में या एक के बाद एक क्रियान्वित की जा सकती हैं। विद्यार्थी समूह भी विभिन्न परियोजना का चयन कर सकते हैं। इस परियोजना की प्रकृति अन्य कारकों, जैसे— विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध संसाधनों, आदि पर निर्भर करती है। महत्वपूर्ण यह है कि पाठ्यक्रम क्षेत्रों की उन अवधारणाओं की पहचान की जानी चाहिए जिन्हें विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है, जैसे— जीव रूपों पर परियोजना में पौधों का जीवन चक्र और जैव विविधता। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजना शुरू करने से पहले उन्हें सम्मिलित किया गया हो।

इस गतिविधि पुस्तिका में परियोजनाएँ, कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा के अधिगम प्रतिफल के अनुसार तैयार की गई हैं। इस पुस्तिका के निम्नलिखित केंद्र बिंदु हैं—

1. प्रमाणिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने हेतु भौतिक औजारों एवं उपकरणों का उपयोग करना।
2. यह समझना कि क्या करना है और कार्य को छोटी-छोटी गतिविधियों में विभाजित कर अंतिम परिणाम तक पहुँचना।
3. सुरक्षा उपायों और दिशानिर्देश का पालन करते हुए सुरक्षा सामग्री तैयार करना एवं औजारों और उपकरणों का उपयोग करने की विधि समझना।
4. विद्यालय में की गई गतिविधियों को कार्य परिवेश से जोड़ना।
5. किए गए कार्य की मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में मूल्यांकन करना।

© NCERT not to be republished

6. विद्यालय में सीखी गई बातों को दैनिक जीवन में क्रियान्वित करना।

7. प्रत्येक गतिविधि में व्यक्तिगत भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समूहों में सहयोगात्मक रूप से काम करना।

उपरोक्त कार्यों को करते समय विद्यार्थी कार्य से संबंधित मूल्यों का विकास कर सकेंगे, विशेष रूप से सभी कार्यों के प्रति सम्मान की भावना को समझेंगे। वे श्रम की गरिमा के महत्व को समझेंगे, जिसका अर्थ है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है इसलिए किसी काम या व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

## शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन

परियोजनाओं में गतिविधियों का एक समूह सम्मिलित होता है जिसे आमतौर पर समूह में या व्यक्तिगत रूप से, आवश्यकतानुसार पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। परियोजना के लिए संसाधन (जैसे— उपकरण, सामग्री, कार्यक्षेत्रों का उपयोग, आदि) और स्रोत व्यक्तियों या प्रमुख प्रशिक्षकों (जैसे— मैकेनिक, किसान, शिल्पकार, कारीगर, प्रौद्योगिकी में काम करने वाले व्यक्ति और अन्य क्षेत्र विशेषज्ञ) को समुदाय से लिया जाना चाहिए। परियोजनाओं में विद्यार्थियों को वास्तविक परिस्थिति में कार्य का अवलोकन और समझने में सक्षम बनाने के लिए क्षेत्र भ्रमण (फील्ड विजिट) और विशेषज्ञों के साथ वार्तालाप सम्मिलित किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कुल समय 110 घंटे अथवा 165 कालांश निर्धारित है, जिसमें मूल्यांकन, विद्यालयी कार्यक्रम, बस्तारहित दिवस और अन्य गतिविधियों का समय सम्मिलित नहीं है *(एन.सी.एफ.एस.ई. 2023* का खंड 4.3)। इन कालांशों को सप्ताह के दौरान दो कालांशों के दो खंडों और शनिवार को एक कालांश के रूप में बाँटा जा सकता है।

प्रत्येक परियोजना को लगभग 30 घंटों (लगभग 55 कालांश, प्रत्येक 40 मिनट की अवधि के) में पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह अवधि दीर्घकालिक संलग्नता सुनिश्चित करने के लिए है, जो विद्यार्थियों को संबंधित गतिविधियों की एक श्रेणी पूरा करने की अनुमति देती है। यह उन्हें 'परीक्षण और त्रुटि' के लिए समय, परिस्थितियों का अलग प्रकार से सामना करने और अपने अधिगम को अन्य गतिविधियों से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है।

परियोजना का उद्देश्य 'उत्पाद' या परिणाम के बजाय रचनात्मकता, कौशल प्रदर्शन तथा कार्य को 'करने' की प्रक्रिया पर होना चाहिए। समूहों में कार्य करना, रचनात्मकता, संवेदनशीलता, दृढ़ता और कार्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों को बढ़ावा देना भी है।

© NCERT not to be republished



Reprint 2026-27

विद्यार्थियों को गतिविधियों के दौरान सक्रिय रहने की आवश्यकता है क्योंकि वे ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं जो सीधे वास्तविक जीवन और कामकाजी परिवेश से संबंधित हैं। उन्हें परियोजना में अन्य पाठ्यक्रम से अधिगम को एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। इसके साथ ही प्रचलित पूर्वाग्रहों को दूर करना भी आवश्यक है जैसे कि किसी विशेष लिंग या किसी विशिष्ट समुदाय के विद्यार्थी को विशेष कार्य भूमिकाएँ न सौंपना। सभी विद्यार्थियों को सभी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। दिव्यांग विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए परियोजना को अनुकूलित किया जा सकता है या पूरी तरह से एक अलग परियोजना तैयार की जा सकती है।

गतिविधि पुस्तिका को शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन के साथ-साथ ही विद्यार्थियों द्वारा स्व एवं सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। पुस्तिका में प्रश्नों का प्रारूप इस प्रकार रखा गया है कि वे स्वयं की प्रगति का आकलन और प्रतिबिंबी अधिगम पर बल दे सकें। अपने उत्तरों का अंकन करते हुए वह एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि की ओर बढ़ें।

विद्यार्थियों को अपनी प्रगति की जाँच और परियोजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और उत्पादों का विवरण रखने के लिए एक दस्तावेज संग्रह (पोर्टफोलियो) बनाना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों द्वारा किए गए सभी कार्य सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिसमें परियोजना से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ, प्रस्तुतियाँ, रेखाचित्र या छायाचित्र (गतिविधि पुस्तिका में सम्मिलित चित्रों के अतिरिक्त) और उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद के चित्र हों।

विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन गतिविधियों के दौरान उनका निरीक्षण कर, उनसे प्रश्न पूछकर और उनकी गतिविधि पुस्तिका की समीक्षा कर किया जा सकता है। कार्य से संबंधित मूल्यों (जैसे— भागीदारी, दृढ़ता और ध्यान, जिम्मेदारी, अनुशासन, जिज्ञासा और रचनात्मकता, विस्तार सहानुभूति और संवेदनशीलता, और शारीरिक कार्य करने की इच्छा) के समावेश का आकलन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों का कार्य करते समय अवलोकन करना आवश्यक है जिससे उनका मूल्यांकन किया जा सके।

विद्यार्थियों का कार्य के दौरान निरीक्षण कर आकलन किया जाना चाहिए। शिक्षकों द्वारा कार्य मूल्यों से संबंधित विशिष्ट व्यवहारों और दृष्टिकोणों को रेखांकित करने वाली परीक्षण सूची और दिशानिर्देश विकसित किए जा सकते हैं। परिशिष्ट 2 में मध्य स्तर में विकसित की जाने वाली क्षमताएँ और कक्षा 6 से संबंधित अधिगम परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिपुष्टि की भूमिका सभी विषयों के लिए अहम है लेकिन व्यावसायिक शिक्षा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों को उनके काम और सकारात्मकता की पहचान देकर



Reprint 2026-27

© NCERT not to be republished

प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से सभी विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन और अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकने की प्रेरणा मिलती रहेगी।

कक्षा 6 के लिए समग्र मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा, प्रस्तुति, भूमिका निभाना, सांकेतिक प्रदर्शन और विद्यार्थियों की गतिविधि पुस्तिका में प्रतिक्रियाओं आदि की समीक्षा सम्मिलित हो सकती है। यदि पेपर-पेंसिल परीक्षण का उपयोग करना चाहते हैं तो परिस्थितिजन्य प्रश्न, अवधारणा मानचित्र, प्रवाह-संचित्र, यात्राओं से सीखना, भूमिका निभाना, समूह चर्चा, प्रस्तुतियाँ और बहुविकल्पीय प्रश्न आदि का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक परियोजना में अंतिम भाग में प्रश्नों की एक श्रेणी भी होती है। ये प्रश्न अधिगम और अवधारणाओं के प्रमुख पहलुओं को संबोधित करते हैं जो गतिविधियों को करते समय सुदृढ़ होते हैं। पुनः स्पष्ट करने के लिए ध्यान क्षमताओं और प्रक्रियाओं की समझ के आकलन पर होना चाहिए। सैद्धांतिक पहलुओं के लिए भारांक 20 प्रतिशत और व्यावहारिक पहलुओं के लिए 80 प्रतिशत भारांक देने का सुझाव दिया गया है।

आकलन एवं मूल्यांकन के लिए सुझाया गया भारांक और अंकन योजना निम्नलिखित है—

| मूल्यांकन प्रणाली | भारांक |
|---|---|
| लिखित परीक्षा | 10% |
| मौखिक प्रस्तुति/मौखिक परीक्षा | 30% |
| गतिविधि पुस्तिका | 30% |
| दस्तावेज संग्रह | 10% |
| गतिविधियों के दौरान शिक्षकों का अवलोकन | 20% |

## परियोजना चयन के लिए मानदंड

गतिविधि पुस्तिका विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है, इसलिए यह विद्यार्थियों से सीधे संवाद करती है। प्रत्येक परियोजना में विभिन्न घटक हैं, जिन्हें अनुभागों के शीर्षकों (कृपया परिशिष्ट 1 देखें) द्वारा दर्शाया गया है। ये घटक विद्यालयी शिक्षा के लिए निर्मित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए परिभाषित दक्षताओं के साथ संरेखित हैं (कृपया परिशिष्ट 2 देखें)। इसलिए, गतिविधि पुस्तिका में दी गई परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य परियोजना में भी समान घटक समाहित होने चाहिए। परियोजनाओं की एक उदाहरणात्मक सूची परिशिष्ट 3 में दी गई है।

इस गतिविधि पुस्तिका में दी गई परियोजनाएँ अनिवार्य नहीं हैं। विद्यालय प्रत्येक प्रकार के कार्य में से किसी एक को चुनने या पूरी तरह से नई परियोजना को तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। विद्यार्थियों को परियोजना से जुड़े विचार साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।



Reprint 2026-27

© NCERT not to be republished

यदि आप और विद्यार्थी गतिविधि पुस्तिका में दी गई परियोजना के अतिरिक्त परियोजना को चुनने का निर्णय लेते हैं तो सभी कार्य रूपों के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखें—

1. क्या यह परियोजना कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है?
2. क्या यह परियोजना विद्यार्थियों को अन्य विषयों से सीखने में सहायता करती है?
3. क्या परियोजना उनके आस-पास दिखाई देने वाले कार्य से संबंधित है?
4. क्या विद्यार्थी उन विशेषज्ञों से वार्तालाप कर सकेंगे जो कार्य परियोजना से संबंधित हैं?
5. क्या विद्यार्थी व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) अनुभव प्राप्त कर सकेंगे?
6. क्या विद्यार्थी परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कर सकेंगे?
7. क्या विद्यार्थियों को परियोजना के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ चुनौतीपूर्ण और रोचक लगेंगी?
8. क्या विद्यार्थी कुछ ऐसा सीखेंगे जिसे वे घर पर उपयोग में ला सकें?
9. क्या इससे कार्य से संबंधित मूल्यों, विशेषकर श्रम की महत्ता का विकास होगा?
10. क्या यह परियोजना विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के लिए व्यावसायिक क्षमताएँ प्राप्त करने में सहायता करेगी (जैसे— प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, पर्यावरणीय मुद्दे और संधारणीयता के विषय में जागरूकता, स्वयं की देखभाल करना, घर पर छोटे-मोटे कार्य करना, आदि)।

आपको परियोजना लगभग 30 घंटे (लगभग 55 कालांश प्रत्येक 40 मिनट के) की अवधि के लिए विकसित करनी चाहिए।

कक्षा 6 की परियोजनाओं के प्रत्येक भाग के समय आवंटन और अधिगम प्रतिफल से संबंधित विवरण परिशिष्ट 4 में दिया गया है। किसी परियोजना को विकसित करते समय इसका उल्लेख किया जा सकता है।

*कृपया ध्यान दीजिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) साधन के उपयोग के सुझाव गतिविधि पुस्तिका में प्रत्येक अध्याय के बॉक्स में दी गई पाठ्यसामग्री में उल्लेखित हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी प्रणाली या मशीनों के निर्माण पर केंद्रित है जिसमें सामान्यत: मानव-बुद्धिमत्ता के अनुसार कार्य क्रियान्वित किए जाते हैं। यदि उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं तो इन सुझावों का उपयोग किया जा सकता है। अंतर्जाल (इंटरनेट) पर ढूँढ़ने के लिए सर्च इंजन का विद्यार्थियों द्वारा उचित सावधानियों के साथ उपयोग करना एवं समूहों में कार्य करने की सूचना भी देनी चाहिए।*



Reprint 2026-27

© NCERT not to be republished

## कौन पढ़ाएगा?

चूँकि मध्य चरण में व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना है। इसलिए जब तक शिक्षक व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों में विशेषज्ञता अर्जित नहीं करते, तब तक वर्तमान शिक्षक, संसाधन व्यक्तियों या प्रधान प्रशिक्षकों के सहयोग से इस विषय को पढ़ाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षक की अनुपस्थिति में किसी भी विषय के शिक्षक जिनमें उन्हें कुछ समझ और विशेषज्ञता है उन परियोजनाओं के लिए गतिविधियों के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।

विद्यालय प्रमुख, मध्य स्तर पर की जाने वाले विभिन्न परियोजनाओं की गतिविधियों का समन्वय और समय-सारिणी बनाने के लिए कार्यरत शिक्षकों में से एक शिक्षक समन्वयक को नामित कर सकते हैं।

## सुरक्षा उपाय

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। विद्यार्थियों को सुरक्षा मानकों की जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे वे स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रखने में सक्षम हों। जहाँ आवश्यक हो, विद्यार्थियों द्वारा कुछ उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग छोटे समूहों की देखरेख में किया जा सकता है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा, परिवहन एवं संसाधन व्यक्तियों के अभिमुखीकरण पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

जब विद्यार्थी अंतर्जाल का उपयोग कर रहे हों या कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधन का उपयोग कर रहे हों तो साइबर सुरक्षा का ध्यान रखें। विद्यार्थियों को अंतर्जाल और ए.आई. साधन का उपयोग करते समय विभिन्न जानकारियों से अवगत कराना चाहिए। जैसे कि शिक्षकों द्वारा अनुमोदित नहीं की गई वेबसाइट्स पर पासवर्ड अथवा निजी जानकारी साझा करने के दुष्परिणामों के विषय में विद्यार्थियों कों अवश्य अवगत कराना चाहिए।

© NCERT not to be republished



Reprint 2026-27

# विद्यार्थियों के लिए निर्देश

प्रिय विद्यार्थियो,

आप कक्षा 6 में विभिन्न विषयों को, जैसे— भाषाएँ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, कला शिक्षा, और शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं। अब आप एक नया और रोचक विषय पढ़ेंगे, वह है 'व्यावसायिक शिक्षा'।

व्यावसायिक शिक्षा आपको विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में सीखने और स्वयं कार्य करने में सहायता करेगी।

जब आप कार्य के विषय में सोचते हैं तो आपको दो बातें याद रखनी चाहिए। प्रथम, सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं और द्वितीय, व्यक्ति न केवल आजीविका के लिए बल्कि जीवन को अधिक आनंदमय और रोचक बनाने के लिए भी कार्य करते हैं। दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कुछ कार्य घर चलाने से संबंधित होते हैं जबकि कुछ आजीविका कमाने से संबंधित होते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा आपको दैनिक जीवन से संबंधित व्यावहारिक कार्यों को करने और कार्य परिवेश को समझने के लिए तैयार करती है। यह विद्यालय में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजना के माध्यम से होगा। गतिविधि पुस्तिका की परियोजनाएँ आपको स्वयं करके सीखने, अपने सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने और आत्मनिर्भर बनने में सहायता करने वाले कौशल को सीखने का अवसर प्रदान करेंगी।

## गतिविधि पुस्तिका का उपयोग कैसे किया जाए?

गतिविधि पुस्तिका के परिचय को पढ़कर आप यह समझ सकेंगे कि आप क्या करने वाले हैं।

**आवश्यक सामग्री**

प्रत्येक गतिविधि को आरंभ करते समय सूचीबद्ध सामग्री को एकत्रित कीजिए।

**निर्देशों का अनुसरण करें**

1. प्रत्येक गतिविधि में स्पष्ट एवं क्रमांकित चरण दिए गए हैं। प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए उनका पालन कीजिए। आगे बढ़ने से पूर्व प्रत्येक चरण को समझिए। क्षेत्र भ्रमण या विशेषज्ञों के साथ वार्तालाप के दौरान प्रश्न कीजिए।
2. गतिविधि पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों और तालिकाओं को पूरा कीजिए, यह आपको सीखने और आपकी समझ का परीक्षण करने में सहायता करेगी।

© NCERT not to be republished

## अपनी प्रगति जाँचिए

कार्य पूर्ण करने के पश्चात, यह सोचिए कि आपने क्या सीखा है और आप क्या सीखना चाहते हैं? गतिविधि के अंतर्गत प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जिससे आप यह जान सकें कि आप क्या कर रहे हैं और उसे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकें। अपने विचारों को स्वयं की भाषा में लिखिए, सरल भाषा का उपयोग कीजिए और अपने अवलोकनों को साझा कीजिए। एक गतिविधि समाप्त करने के बाद अपने कार्य की समीक्षा कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि आपने सभी चरणों का अनुसरण किया है। इसके साथ आप अपने उत्तरों को भी जाँचें।

यदि गतिविधि पुस्तिका में लिखने और रेखाचित्र बनाने अथवा चिपकाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तो आप नोट बुक का उपयोग कर सकते हैं।

## सहायता माँगना

यदि किसी गतिविधि के किसी भाग के विषय में अनिश्चितता है तो आप सहायता के लिए शिक्षक, माता-पिता अथवा सहपाठियों से पूछने में संकोच न करें। यदि आपको कुछ स्पष्ट नहीं है तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछने की आवश्यकता हो उन्हें पूछें। सहयोग और चर्चा से सीखना अधिक आनंदपूर्ण और प्रभावी हो सकता है।

आप अंतर्जाल अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनों का उपयोग सीखने के लिए कर सकते हैं। यह हमारे कार्यों को सुगम बनाता है और हमें वस्तुएँ ढूँढ़ने या कार्य को शीघ्रता से करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, चैट जीपीटी, अनुवाद या जानकारी खोजने के लिए उपयोगी है। ए.आई. आपकी परियोजना के लिए आवश्यक नहीं है, आप इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं।

## लघु विराम लीजिए

गतिविधियों को जल्दबाजी में न करें। यदि आप थकान महसूस करते हैं, तो लघु विराम लीजिए।

## रचनात्मक बनिए

कुछ गतिविधियों में 'मुक्त प्रश्न' हो सकते हैं अथवा आपके रचनात्मक विचारों की अपेक्षा की जा सकती है। आप अपनी कल्पना से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें।

## सकारात्मक रहिए

नवीन बातें सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सकारात्मक रहिए और स्मरण रखिए कि अभ्यास से ही निपुणता आती है।

© NCERT not to be republished



Reprint 2026-27

## प्रतिबिंबी शिक्षण लीजिए

प्रत्येक गतिविधि से आपने क्या सीखा, इस संबंध में विचार कीजिए। अपनी प्रगति को अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए और उनकी प्रतिक्रिया लीजिए।

## अपनी परियोजना तैयार कीजिए

इस संबंध में विचार कीजिए कि आप अन्य कार्य करने के लिए अपने अधिगम को कैसे जारी रख सकते हैं।

गतिविधि पुस्तिका में दिए गए कार्य के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न कार्य करने का प्रयास करें। कुछ नया करने की एक नवीन विधि हो सकती हो अथवा विभिन्न सामग्रियों का उपयोग भी किया जा सकता है। यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है अथवा कुछ अलग या विशेष करना चाहते हैं, तो दूसरों की या पुस्तकालय की पुस्तकों से सहायता लीजिए और इसकी चर्चा अपने समूह और शिक्षक के साथ अवश्य कीजिए।

आप विद्यालय समयावधि के पश्चात भी कार्य करना चाहते हैं तो कुछ गतिविधियाँ घर पर भी कर सकते हैं। आप जो सीखेंगे उससे अपने परिवार और मित्रों की भी सहायता कर सकते हैं। यदि आपके पास गतिविधि पुस्तिका में सुझाई गई परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजना के विचार हैं, तो आप उन्हें अपने शिक्षकों के साथ साझा कर सकते हैं, जो आपके साथ अन्य परियोजनाएँ तैयार करने में सहायता करेंगे।

## अंतर्जाल सुरक्षा

यदि आप अंतर्जाल अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो कृपया इसे किसी अनुभवी व्यक्ति की निगरानी में कीजिए। अंतर्जाल पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उसके विषय में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे— विद्यालय और घर के आस-पास कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आप किसी अनुभवी के बिना नहीं जाते, वैसे ही अंतर्जाल पर भी कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो विद्यार्थियों के लिए असुरक्षित होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा और जब भी संदेह हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अवश्य पूछें।

© NCERT not to be republished



Reprint 2026-27

# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता**

**और अखंडता**] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Reprint 2026-27

# विषयसूची


| | |
|---|---|
| *आमुख* | *iii* |
| *गतिविधि पुस्तिका के बारे में* | *v* |
| **भाग 1— जीव रूपों के साथ कार्य करना** | **1** |
| परियोजना 1— विद्यालयी रसोई उद्यान | 3 |
| परियोजना 2— जैव विविधता विवरणिका | 34 |
| **भाग 2— मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करना** | **55** |
| परियोजना 3— निर्माता कौशल (मेकर स्किल्स) | 57 |
| परियोजना 4— एनिमेशन और खेल (गेम्स) | 81 |
| **भाग 3— मानव सेवाओं में कार्य करना** | **103** |
| परियोजना 5— विद्यालयी संग्रहालय | 105 |
| परियोजना 6— आग के बिना खाना बनाना | 125 |
| **परिशिष्ट 1— परियोजना रूपरेखा** | **154** |
| **परिशिष्ट 2— कक्षा 6 के लिए शैक्षिक लक्ष्य और अधिगम प्रतिफल** | **160** |
| **परिशिष्ट 3— कक्षा 6 से 8 के लिए अनुकरणीय परियोजनाएँ** | **162** |
| **परिशिष्ट 4— समय आवंटन और अधिगम प्रतिफलों का मानचित्रण** | **164** |


© NCERT not to be republished

Reprint 2026-27

© NCERT not to be republished